भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुप

INDI

AA 268401

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1–शिक्षा एवं स्वॅस्थ्य का प्रसार, विकास एवं विस्तार होगा। विद्यालयो एवं शिक्षण संस्थाओ की स्थापना, प्रबंध तथा सहयोग प्रदान करना।

2–नर्सरी, प्राईमरी, उच्चतर, उच्चतर माध्यमिक, कामर्शियल, इण्डस्ट्रीयल, तकनीकी, चिकित्सा एवं शारीरिक विद्यालयो तथा कालेजो तथा अन्य प्रकार के विद्यालयो एवं कालेजो की प्रगति एवं विकास हेतु सहयोग एवं प्रबन्ध करना।

3–विद्यालय कालेज एवं संस्था की स्थापना प्रबन्ध प्रशासन एवं देखभाल तथा विद्यार्थियों की किसी स्तर तक शिक्षा जो आवश्यक हो, उनकी इच्छानुकुल व्यवस्था करना।

4–न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा तथा न्यास अन्य धाराओ में वर्णित कार्य करेगी।

5–ऐसे छात्र जिनकी रूचि अन्य छात्रो की पढ़ाने/ प्रशिक्षण देने की हो उनके शिक्षा के लिए संस्था, स्कूल या कालेज की स्थापना, प्रशासन एवं प्रबन्धन की व्यवस्था करना।
, कान्फ्रेन्स प्रतियोगिता, परीक्षा, अनुसंधान, कल्चरल, एक्जीविटिंग, सिनेमा द्वारा शिक्षा, खेलकूद आदि की व्यवस्था करना।

6 –वयस्क व्यक्तियों के शिक्षा की व्यवस्था करना।

अमित निगम

राजीव कुमार निगम
पुत्र-कमलेश प्रसाद

उप निबंधक
सलेमपुर

400/ 24/9/2016

28

6—न्यास का अधिकार

i- न्यास की निधि को एकत्रित करना, न्यास निधि के आय, लाभ एवं ब्याज को एकत्र करने

ii- न्यास की धनराशि में से न्यास के व्यय के लिए व्यवस्था करना।

iii- न्यास के उद्देश्य के पूर्ति के लिए न्यास के सभी कार्यो को सम्पादित करना।

iv- न्यास के खाते का संचालन व्यवस्थापक न्यासी एवं अन्य कोई न्यासी जिसका चयन किया जाय द्वारा किया जायेगा

v- न्यास का खाता किसी राष्ट्रीकृत बैक में खोला जायेगा तथा न्यास की कोई भी धनराशि फिक्संड डिपाजिट की जा सकती है तथा कही भी निवेश किया जा सकता है, जो न्यास के नाम रहेगी तथा संचालन प्रस्तर 6.(पअ) के अनुसार होगा।

vi. न्यास से संबंधित वादो का संचालन होगा, जिसको व्यवस्थापक न्यास द्वारा या किसी न्यासी या संयुक्त व्यवस्थापक न्यासी को संचालित करने के लिए अधिकृत करेगा।

vii. प्रत्येक न्यासी इण्डियन ट्रस्ट अधिनियम 1882 के द्वारा प्रदत्त दायित्व को निर्वहन के लिए बाध्य होगा।

viii. न्यास के लिए किसी सम्पत्ति को खरीदने व बेचने के लिए न्यासी समिति अधिकृत होगा।

ix- न्यास के लिए किसी भी व्यक्ति से सहयोग न्यासी समिति प्राप्त कर सकती है।

x- न्यास के आय–व्यय के विवरण के लिए आय–व्यय रजिस्टर होगा तथा प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च के बाद पूरे वर्ष का किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आय– व्यय का आडिट कराया जायेगा।

xi- ट्रस्ट के लिए किसी भी कर्मचारी को व्यवस्थापक न्यासी नियुक्त कर सकता है तथा उसको वेतन का भुगतान न्यास फण्ड से किया जायेगा।

xii. न्यास को न्याय फण्ड की आवश्यकता होने पर ऋण प्राप्त कर सकता है तथा न्यास की सम्पत्ति न्यास के लिए ऋण प्राप्त करने पर बन्धक रखने का अधिकार न्यासी समिति को होंगा।

7—न्यास के भंग होने की स्थिति में न्यास की सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाले न्यास .

उप निबंधक
सलेमपुर

1/1/2018

पुष्टि विलेख 58,59

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री अमित मिश्र, पुत्र श्री बृजमोहन मिश्र

निवासी: सा० भटनी वार्ड 5 पो0 भटनी

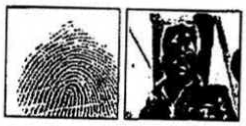

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनय विश्वकर्मा, पुत्र श्री रामखेलावन विश्वकर्मा

निवासी: सा० पाण्डेयपुर पो0 मलकौली

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री गोविन्द, पुत्र श्री अक्षैबर

निवासी: सा० जिगना मिश्र पो0 भटनी

व्यवसाय: कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 268400

न्यास दस्तावेज

हमकि अमित कुमार मिश्र पिता– बृजमोहन मिश्र उम्र 32 साल निवासी

भटनी वार्ड नं 5 , परगना–सलेमपुर मझौली, तहसील–सलेमपुर, थाना–भटनी, जिला–देवरिया का निवासी हूं तथा इस न्यास का न्यासकर्ता हूं आज दिनांक 28 / 12 / 2017 माह.दो हजार सतरह को यह न्यास डीड तैयार कर लिखा गया।

न्यास कर्ता इस न्यास को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन, पेयजल, सफाई, नशा उन्मूलन, कृषि विकास, महिला कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आई0टी0आई0 आदि के लिए बनाने का इच्छुक हे एवं न्यास की सम्पत्ति हेतु रू0 10,000 / –(दस हजार) न्यासकर्ता आज दे रहा है।

न्यास दस्तावेज के निम्नांकित आधार होगे

1–न्यास का नामः– बी0 एम0 एस0 डी0 चैरिटेबल ट्रस्ट

2–न्यास का पता– वार्ड न0–5 ,पोस्ट भटनी, तहसील–सलेमपुर,

जिला– देवरिया, (उ0प्र0) है।

न्यासी अपने आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार आवश्यक होने पर न्यास का पता बदल सकता है।

3–न्यास का उद्देश्य निम्नांकित में से सभी या कोई हो सकता है:–

अमित मिश्र

उप निबन्धक सलेमपुर

28 DEC 2017

7. मीटिंग, लेक्चर, वाद–विवाद प्रतियोगिता, वाद–विवाद के लिए शिक्षा, सेमिनार, कान्फ्रेंस प्रतियोगिता, परीक्षा, अनुसंधान, कल्चरल एंटरटेनिंग सिनेमा द्वारा शिक्षा, खेल कूद आदि की व्यवस्था करना।

8–पुस्तकालय,म्यूज़िक, रीडिंगरूम, पुस्तकों का वितरण जो शिक्षा के विस्तार में आवश्यक हो प्रबन्ध करना।

9–स्कूल, कॉलेज एवं संस्थाओ के लिए धन की व्यवस्था करना।

10–स्वरोजगार के लिए धन की व्यवस्था करना एवं कराना।

11–रोजगार के लिए लोगो को लगाना।

12–चिकित्सा के लिए स्थान–स्थान पर लोगो को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम करना तथा शिविर का आयोजन करना।

13–चिकित्सालय, मेटर्निटी होम, नर्सिंग होम की स्थापना, व्यवस्था एवं डाक्टर्स को रखना। चिकित्सा के लिए सभी प्रकार के संसाधन एकत्रित करना एवं उसकी व्यवस्था करना।

14–समाज के अल्पसंख्यक,पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की बालक/ बालिकाओ हेतु प्रशिक्षण जैसे– कम्प्यूटर टाईपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी0टी0पी0, स्क्रीन प्रिन्टिंग, टर्नर, इलेक्ट्रीशीयन, बैटरी, रिपेयरिंग, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक,रेडियो, टेपिंग, लघु कुटीर उद्योग, मोटर वाईडिंग, सिलाई– कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, फल संरक्षण, रेक्सीन, कला, गृह सज्जा, अचार, मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटी पार्लर, एअर कन्डीशनर की मरम्मत, डीजल पम्पसेट की मरम्मत, मोटर साईकिल व ऑटो मैकेनिक मुद्रण,कम्पोजिंग, फोटोग्राफी, चर्मशिल्प प्रशिक्षण, स्प्रे पेन्टिंग, वेल्डिंग फीटर, दरी निर्माण, प्रशिक्षण, मोटर ड्राइविंग, प्रशिक्षण, ग्रामीण इंजीनियरिंग प्रशिक्षण की जानकारी देना तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमो के माध्यम से तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

15–खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा,हस्तशिल्प, कला, चमड़ा, उद्योग, रेक्सीन कला से संबंधित कार्यक्रमो की जानकारी देना तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगो के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना व तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना।

16–शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगो हेतु कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना तथा इन लोगो के रहने के लिए आश्रम बनवाना।

17–कमजोर व निर्धन विकलांग बालक एवं बालिकाओ के रहने हेतु आवासीय अनावासीय विद्यालयों की स्थापना करना, सरकार से अनुमति लेकर निःशुल्क विकलांग, चिकित्सालयो की स्थापना करना व कृत्रिम अंग प्रदान करना।

27–पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।

28–अस्वस्थ्य वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चो के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29–जल संरक्षण, जल संचयन, जलचव व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना एवं जल प्रदूषण के खिलाफ गोष्ठी, शोध केन्द्रो की स्थापना करना।

30–नदियों में गंदे नालो तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिए संबंधित विभागो की अनुमति से करना। छोटे पोखरे एवं तालाबो के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करने का प्रयास करना।

31–दैवीय आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग आदि जैसी बीमारियों व महामारियों व विभिन्न कठिनाईयों में शासन व प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।

32–जानवरो के चारागाह हेतु सरकार की अनुमति से नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना ताकि जानवरो के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सकें।

33–मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय,ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयो तथा उ0प्र0 सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारो और विदेशी संगठनो के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओ की जानकारी देना एवं उनका क्रियान्वयन करना।

34–बाल विकास एवं बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आई0एल0ओ0, यूनोडो, सिडवी, नावार्ड, कपाट एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओ के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कन्धे से कन्धा मिलाकर योजनाओ का प्रचार– प्रसार करना एवं मानव संसाधन मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देना।

35–फूलो एवं फलो की खेती तथा बागवानी बोर्ड से संबंधित जानकारी जन मानस तक पहुचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना।